सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

धारा — 88, 95, 188 बंशीसिंह, नरपत सिंह बगै० / कागाराम बगै०

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

Case - 29/2019 / CMR - 2019/00076

01/4/25 पत्रावली पेश हुई, पत्रावली में न्यायालय समय में वादी एवं वादी अभिभ्रता को आवाजें दिलवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं होने के कारण वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है, पत्रावली केवल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी